समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
संयुक्त आदेश

दिनांक 12-02-2017 (रविवार) को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने एवं स्वच्छ व शांतिपूर्ण परीक्षा के संचालन हेतु जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा का संयुक्त आदेश।

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-3057/लो0से0आयो0, दिनांक-23-01-2017 एवं आयोग द्वारा निर्गत अनुदेश पुस्तिका के अनुरूप , दिनांक 12-02-2017 (रविवार) को 12:00 बजे मध्याह्न से 02:00 बजे अप0 तक 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा (जो एकल विषय- सामान्य अध्ययन की 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा है), मधेपुरा जिला के 03 (तीन) परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

जिला कोड	केन्द्र कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	अनुक्रमांक		आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या
			से	तक	
19	218	Shivnandan Prasad Mandal +2 Vidyalaya, Madhepura	244301	244700	400
19	219	Parwati Vigyan Mahavidyalaya, Madhepura	244701	245200	500
19	220	T.P. College, Madhepura	245201	246100	900
				Total :-	1800

(1) परीक्षा संयोजक /सहायक परीक्षा संयोजक

62वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा संयोजक (Exam Co-ordinator) जिलाधिकारी, मधेपुरा हैं।

परीक्षा के सफल संचालन हेतु मो0 मुर्शीद आलम, अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा (9473191354) को सहायक परीक्षा संयोजक के रूप में कार्यालय के पत्रांक 2794 /गो0 दिनांक 17-11-2016 द्वारा नामित किया जा चुका है, जो परीक्षा संचालन में परीक्षा संयोजक की सहायता करेंगे। सहायक परीक्षा संयोजक, परीक्षा की तिथि को ससमय प्रश्न पत्रों का सभी परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचना तथा परीक्षोपरान्त सील्ड ओ0एम0आर0 सुरक्षित ढ़ंग से बज्रगृह में, जोनल दण्डाधिकारी के माध्यम से रखवाना सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही परीक्षा की तिथि को सभी परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे। आयोग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप परीक्षा संचालन हेतु सभी केन्द्राधीक्षकों /स्टेटिक दण्डाधिकारियों /जोनल दण्डाधिकारियों को यथावश्यक निर्देश देंगे।

(2) प्रतिनियुक्ति संबंधी परिशिष्ट

उपर्युक्त परीक्षा का संचालन स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचाररहित सम्पन्न कराने के उद्देश्य से उड़नदस्ता दल, जोनल दण्डाधिकारी, स्टेटिक दण्डाधिकारी -सह- प्रेक्षक (Observer), सशस्त्र बल एवं लाठी बल की प्रतिनियुक्ति **परिशिष्ट-'ए'** के अनुसार की जाती है। परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त स्टेटिक दण्डाधिकारी, स्टेटिक सशस्त्र बल के प्रभारी दण्डाधिकारी होंगे तथा जोनल

दण्डाधिकारी गश्ती दल दण्डाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं चलन्त कार्यपालक दण्डाधिकारी होंगे। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /पुलिस बल अपने लिए निर्गत अनुदेशों, जिसका ब्यौरा आगे की कंडिकाओं में वर्णित है, का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। केन्द्राधीक्षक के साथ-साथ सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस बल की यह जवाबदेही होगी कि सही उम्मीदवारों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश हो एवं किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने पाये।

(3) परीक्षा से संबंधित सामान्य अनुदेश (केन्द्राधीक्षक /वीक्षक /स्टेटिक दण्डाधिकारी /प्रेक्षक /जोनल दण्डाधिकारी सभी के लिए)

(क) प्रवेश पत्र (Admit Card) :-

➢ इस परीक्षा से सम्बद्ध सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था आयोग द्वारा की गई है और ये प्रवेश पत्र परीक्षा में बैठने के लिए मान्य हैं।

➢ यदि प्रवेश पत्र खो जाने की सूचना दी गई है, या प्रवेश पत्र अन्यथा प्रस्तुत नहीं किया गया है, किन्तु उम्मीदवार का नाम उपस्थिति सूची (Roll Sheet) में सम्मिलित है, तो उससे इस आशय का एक लिखित आवेदन लेकर उसे परीक्षा देने की अनुमति दी जायेगी और उक्त आवेदन को अनुमोदन हेतु आयोग को भेज दिया जायेगा। **केन्द्राधीक्षक को ऐसे हर मामलें में उम्मीदवार की पहचान के बारे में भी अपनी संतुष्टि अवश्य कर लेनी होगी।** यदि उम्मीदवार का नाम उपस्थिति सूची (Roll Sheet) में अंकित नहीं हो, किन्तु उम्मीदवार को प्रवेश पत्र निर्गत हो और उसके बैठने की व्यवस्था आपके संस्थान में है, तो वैसी स्थिति में उम्मीदवार का नाम एवं अनुक्रमांक उपस्थिति सूची (रौल सीट) में अंकित करते हुए उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी तथा आयोग को अवगत कराया जायेगा। **इस निमित्त प्रपत्र संख्या-8 में** विहित प्रतिवेदन **अनिवार्यतः भेजना सुनिश्चित करेंगे।**

(ख) आसन व्यवस्था (Seating Arrangement) :-

➢ इस परीक्षा में उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था उन्हें आवंटित अनुक्रमांक (Roll No.) के आधार पर की जानी है। उदाहरणार्थ अगर किसी परीक्षा केन्द्र पर अनुक्रमांक 000001 से 000500 तक कुल 500 (पांच सौ) उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में बैठने की व्यवस्था की गयी है एवं इन उम्मीदवारों को 000001 से 000500 तक अनुक्रमांक आवंटित है, तो अपेक्षित यह है कि उम्मीदवारों को बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि कमरा में बाएं तरफ से 000001 के पीछे 000002, 000002 के पीछे 000003............। इस प्रकार से यदि उस कमरा में प्रथम श्रृंखला में अंतिम उम्मीदवार 000010 रहता है, तब दूसरी श्रृंखला 000011 से प्रारंभ कर 000020 तक जायेगी और उसी क्रम में अगली सभी श्रृंखलाएँ पूरी की जायेंगी। किसी भी स्थिति में प्रत्येक कमरे में प्रत्येक श्रृंखला में अंतिम उम्मीदवार को 4 के गुणक में नहीं होना चाहिए।

➢ एक कमरा में बैठने की व्यवस्था पूरी कर लेने पर दूसरे कमरा में बाएं तरफ से अनुक्रमांक (Roll No.) के आधार पर क्रमवार बैठने की व्यवस्था करते हुए 000500 तक के उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था पूरी की जायेगी। सीटिंग प्लान का नमूना आयोग के अनुदेश पुस्तिका के परिशिष्ट-'ख' के रूप में है, जो अनुलग्नक के रूप में इसके साथ संलग्न है।

(ग) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक उनके प्रवेश पत्र पर अंकित है। प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति और अनुक्रमांक के अनुसार रौल शीट संबंधित परीक्षा केन्द्र को परीक्षा की तिथि के पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा। उपर्युक्त परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले उत्तर